



उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय परिसर, शान्तिपुरम् (सेक्टर-एफ), फाफामऊ

इलाहाबाद-211021

दूरभाष सं. : 0532-2447035

Website : www.uprtou.ac.in

E-mail : uprtou@yahoo.co.in

Fax No. : 0532-2447036

अध्ययन केन्द्र की स्थापना हेतु आवेदन-पत्र का प्रारूप

(दो प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा)

1 महाविद्यालय/संस्था का नाम :

(i) (हिन्दी में).....

.....

(ii) (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में).....

.....

.....

2 समिति/ट्रस्ट का नाम, पंजीकरण संख्या एवं वैधता तिथि :

3 महाविद्यालय/संस्था का स्थापना वर्ष :

4 महाविद्यालय/संस्था का स्तर एवं स्थापना के उद्देश्य :

5 पत्राचार का पूरा पता पिन कोड सहित :

(i) (हिन्दी में)

.....

(ii) (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में).....

.....

6 विश्वविद्यालय का नाम जिससे महाविद्यालय/संस्था सम्बद्ध हो :

(कुलाधिपति/शासन द्वारा निर्गत पत्र की फोटो कापी संलग्न की जाय)

.....

7 महाविद्यालय/संस्था की प्रबन्ध समिति के सचिव/प्रबन्धक/निदेशक का नाम :

1	सचिव/प्रबन्धक/निदेशक का नाम	
2	दूरभाष संख्या	
3	फैक्स नं०	
4	मोबाइल नं०	
5	ई-मेल	

आवेदन शुल्क का विवरण

1. बैंक ड्राफ्ट संख्या

2. दिनांक

3. बैंक का नाम

4. धनराशि

8 महाविद्यालय/संस्था के प्राचार्य का नाम :

1	प्राचार्य का नाम	
2	दूरभाष संख्या	
3	फैक्स नं०	
4	मोबाइल नं०	
5	ई-मेल	

9 प्रस्तावित समन्वयक का नाम, पदनाम, विभाग, दूरभाष एवं मोबाइल नं. :

1	समन्वयक का नाम	
2	पदनाम	
3	विभाग	
4	दूरभाष संख्या	
5	ई-मेल	
6	मोबाइल नं.	

10 अध्ययन केन्द्र कार्यालय तथा समन्वयक कक्ष के लिए क्या महाविद्यालय/संस्था में स्थान उपलब्ध है ? यदि हाँ तो उसका विवरण दिया जाय और भवन का मानचित्र संलग्न किया जाय :

क्र.सं.	नाम	संख्या
1	कार्यालय	
2	पुस्तकालय	
3	प्रयोगशाला	
4	कक्षाकक्ष	
5	अध्यापक कक्ष	

11 महाविद्यालय/संस्था के निकटतम :

क्र.सं.	स्थान का नाम	दूरी कि.मी. में
1	रेलवे स्टेशन का नाम एवं दूरी	
2	बस स्टेशन का नाम एवं दूरी	
3	पुलिस स्टेशन का नाम एवं दूरी	
4	डाकघर का नाम एवं दूरी	

12 अगर महाविद्यालय अथवा संस्था के कुछ विभाग स्ववित्तपोषित हैं तो इंगित किया जाय :

.....

13 महाविद्यालय अथवा संस्था द्वारा संचालित वर्तमान पाठ्यक्रम :

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	शासन द्वारा सहायता प्राप्त / स्ववित्त पोषित	क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	शासन द्वारा सहायता प्राप्त / स्ववित्त पोषित
1			12		
2			13		
3			14		
4			15		
5			16		
6			17		
7			18		
8			19		
9			20		
10			21		
11			22		

14 यू0जी0सी0 के पत्र संख्या F.No. UGC/DEB/QMC/2013 दिनांक 09 सितम्बर 2014 के बिन्दु संख्या (IV) :- “ No university, whether central, state, private or deemed, can offer its programmes through franchising arrangement with private coaching institution even for the purpose of conducting courses through distance mode.” के अनुपालनार्थ 20/- रुपये (बीस रुपये) के नानजूडिशियल स्टैम्प पेपर पर संलग्न प्रारूप पर शपथ-पत्र प्रस्तुत करें कि प्रस्तावित अध्ययन केन्द्र द्वारा किसी प्रकार की प्राइवेट कोचिंग नहीं प्रदान की जाती (संलग्नक संख्या-01)।

15 अगर महाविद्यालय/संस्था किसी विश्वविद्यालय का पत्राचार या दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम चला रही हो तो उसका पूर्ण विवरण दिया जाय :

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम
1.	
2.	

- 16 विषय एवं योग्यता सहित शिक्षकों की सूची (शिक्षकों की नियुक्ति के अनुमोदन पत्र की प्रति संलग्न की जाय) :

क्र.सं.	शिक्षक का नाम	अध्यापन विषय	शिक्षक की नियुक्ति वर्ष	योग्यता
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

नोट :- शिक्षकों की संख्या अधिक होने पर सूची अलग से संलग्न करें।

- 17 पुस्तकालय में उपलब्ध सुविधा का पूर्ण विवरण (विषयवार पुस्तकों एवं पत्र-पत्रिकाओं की संख्या भी दी जाय) :

क्र.सं.	पुस्तक का नाम	पुस्तकों की संख्या
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

- 18 कम्प्यूटर की उपलब्ध सुविधा का पूर्ण विवरण (कम्प्यूटर लैब की आकार, कम्प्यूटर व प्रिन्टर आदि की संख्या इत्यादि) :

क्र.सं.	उपकरण का नाम	उपकरण की संख्या
1	कम्प्यूटर	
2	प्रिन्टर	
3	स्कैनर	

- 19 महाविद्यालय/संस्था में उपलब्ध इन्टरनेट/ब्राड बैंड कनेक्शन और जेनरेटर की सुविधा का विवरण :

क्र.सं.	नाम	विवरण
1	इण्टरनेट/ब्राड बैंड कनेक्शन का नाम एवं नम्बर	
2	जेनरेटर की क्षमता तथा संख्या	

- 20 अध्ययन केन्द्र स्थापित करने सम्बन्धी महाविद्यालय अथवा संस्था की प्रबन्ध समिति का प्रस्ताव। (संख्या एवं दिनांक का उल्लेख नीचे करें तथा प्रस्ताव की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें।)

- 21 यू०पी०आर०टी०ओ०यू० के उन कार्यक्रमों का नाम जो प्रस्तावित अध्ययन केन्द्र पर संचालन हेतु वांछित है (प्रत्येक वांछित कार्यक्रम मुक्त विश्वविद्यालय के मानक/मापदण्ड के अनुसार हो) :

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम/कार्यक्रम कोड
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	

- 22 अन्य प्रासंगिक सूचना :

क्र.सं.	विवरण	क्र.सं.	विवरण	क्र.सं.	विवरण
1		4		7	
2		5		8	
3		6		9	

हस्ताक्षर प्राचार्य

हस्ताक्षर प्रबन्धक/निदेशक

दिनांक :

नोट :-

- 1 सभी प्रविष्टियों की पूर्ण स्पष्ट और सही-सही जानकारी देना आवश्यक है।
- 2 आवेदन-पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर प्राचार्य/निदेशक/प्रबन्धक के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
- 3 अपूर्ण आवेदन-पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी तथा उसे निरस्त कर दिया जायेगा। एक बार निरस्त किये गये आवेदन पर पुनर्विचार करना सम्भव नहीं है।
- 4 सूचना के पुष्टि हेतु मांगे गये संलग्नकों की नत्थी करना जरूरी है।
- 5 वांछित कार्यक्रमों के लिए शिक्षकों और अन्य उपलब्ध सुविधाओं का पूर्ण विवरण अलग से संलग्न किया जाय।
- 6 महाविद्यालय/संस्था का संचालन करने वाली सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र और उसके संविधान की एक प्रति संलग्न की जाय।
- 7 आवश्यकतानुसार सूचनायें अतिरिक्त पृष्ठों पर भी संलग्न की जा सकती है।
- 8 आवेदन-पत्र के क्रम संख्या 14 से सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्राइवेट कोचिंग संचालन न किये जाने का शपथ-पत्र (संलग्न प्रारूप पर) रु. 20/- के नानजूडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कर अवश्य ही प्रस्तुत किया जाय।
- 9 मानक एवं मापदण्ड के क्रमांक पाँच में उल्लिखित संस्थाओं को रु 20,000/- जमानत राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में अध्ययन केन्द्र के अनुमोदन होने के बाद जमा करनी होगी।
- 10 बैंक ड्राफ्ट "वित्त अधिकारी, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के नाम व इलाहाबाद में देय होना चाहिए।
- 11 अध्ययन केन्द्र आवंटित करना या नहीं करने का निर्णय पूर्ण रूपेण विश्वविद्यालय के विवेकाधीन है।
- 12 मान्यता प्रदान करने के उपरान्त भी विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन केन्द्र का कभी भी निरीक्षण कराया जा सकता है एवं निरीक्षण के दौरान मानकों की पूर्ति न होने पर अध्ययन केन्द्र को निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
- 13 विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन केन्द्र स्थापित करने की संस्तुति के उपरान्त विश्वविद्यालय तथा सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्था (अध्ययन केन्द्र) के बीच अनुबन्ध-पत्र (MoU) हस्ताक्षरित किया जायेगा।
- 14 वांछित शुल्क के भुगतान बिना आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 15 आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.uprtou.ac.in एवं टोल फ्री नं० 1800 120 111 333 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

शपथ-पत्र का प्रारूप

शपथ-पत्र

समक्ष – कुलसचिव,

उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,

इलाहाबाद

शपथ पूर्वक कहना है कि महाविद्यालय/संस्था

.....

विशुद्ध रूप से एक शैक्षिक संस्था है जिसमें उच्च शिक्षा से सम्बन्धित कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। महाविद्यालय/संस्था में पठन-पाठन हेतु किसी भी प्रकार की प्राइवेट कोचिंग अथवा ट्यूशन का संचालन नहीं होता है और न ही भविष्य में किया जायेगा। यदि संस्था द्वारा भविष्य में प्राइवेट कोचिंग (Private Coaching) अथवा ट्यूशन (Tuition) के संचालन सम्बन्धी प्रमाणिक सूचना विश्वविद्यालय को प्राप्त होती है तो इसके लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु विश्वविद्यालय स्वतंत्र होगा।

प्रबन्धक

प्राचार्य/निदेशक